न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/75

1. महावीर आत्मज बाल्या प्रजापत कापरेन हाल चन्दावला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. मोडूलाल आत्मज रंगल्या प्रजापत निवासी वार्ड नम्बर 9 कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. जगन्नाथ ।
2. रूगनाथ
3. मदन लाल
4. प्रेमचन्द पिसरान बजरंगा जाति प्रजापत निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
5. छोटी बाई विधवा धन्ना जी प्रजापत ।
6. पुष्पाबाई पुत्री धन्ना जी प्रजापत ।
7. मंजू बाई पुत्री धन्ना जी प्रजापत निवासीगण कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री राजकुमार माथुर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 23.05.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम करीरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 0.47 हैक्टर एवं आराजी खसरा नम्बर 175 रकबा 1.21 हैक्टर ग्राम टाकरवाडा की भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण 1/3 हिस्से के सहखातेदार हैं । उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है । प्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं जिसमें प्रार्थीगण 1/3 हिस्से का विधिवत बंटवारा कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दौराने वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार के0 पाटन को रिसीवर

.....

नियुक्त किया जावे यदि रसीवर नियुक्त नहीं किया जाता है तो 10,000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि जमा करवाई जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.09.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी पर 10,000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर कब्जा काश्त बनाये रखने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व में अपने पूर्वजों के समय से अपीलान्ट के पिताजी व उकने भाईयों के मध्य स्वेच्छा पूर्वक सम्पादित किया गया था तथा इस हेतु पारिवारिक समझौता लिपिबद्ध कर दिया गया था जिसकी मूल प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया । पक्षकारान अपने पूर्वजों के जीवनकाल से सम्पन्न हुए बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं । उल्लेखनीय है कि मकान व जमीन का बंटवारा पारिवारिक विभाजन के अनुसार हो चुका है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का आराजी खसरा नम्बर 175 रकबा 1.21 हैक्टर ग्राम टाकरवाडा में रेस्पोडेन्ट के पिता बजरंगा का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पारिवारिक सेटलमेंट का दस्तावेज प्रस्तुत किया है वह अपंजीकृत है जो साक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के हित संरक्षित रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । न्यायालय का दायित्व है कि वह पक्षकारान के हितों को संरक्षित रखे इसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2016 बहाल रखा जावे ।

ने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य पारिवारिक विभाजन हो रखा है उक्त पारिवारिक विभाजन का दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था हालांकि उक्त दस्तावेज अपंजीकृत दस्तावेज है परन्तु उसे अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर अर्थात् रिसीवर नियुक्त करने जैसी कठोरतम कार्यवाही करने से पूर्व पढा जा सकता है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौता अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कठोरतम कार्यवाही करते हुए नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी इनमिडियों होना साबित नहीं है । जब तक कोई भूमि इनमिडियो नहीं हो तब तक ऐसी भूमि पर कठोरतम कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए ।

12. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी हमे अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र की स्टेज पर केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करना सही है ? चूंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उनके पूर्वजों के समय पारिवारिक समझौता हुआ था जो लिखित दस्तावेज है परन्तु अपंजीकृत जो साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है या नहीं यह मूल वाद के निस्तारण के समय होगा परन्तु अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर उक्त दस्तावेज को पढा जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी इनमिडियो होना साबित नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य हुए लिखित पारिवारिक विभाजन को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा